रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-24012024-251581
CG-DL-W-24012024-251581

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 1] **नई दिल्ली, जनवरी 14—जनवरी 20, 2024, शनिवार/पौष 24—पौष 30, 1945**
No. 1] **NEW DELHI, JANUARY 14—JANUARY 20, 2024, SATURDAY/PAUSHA 24—PAUSHA 30, 1945**

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2024

का.नि.आ. 1.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और नौसेना (समूह 'ख' और समूह 'ग') नौसेना डॉकयार्ड या नौसेना पोत मरम्मत यार्ड (तकनीकी पर्यवेक्षी कर्मचारिवृन्द) भर्ती नियम, 2007 को, जहां तक उनका संबंध फॉरमेन के पद से है उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय (नौसेना), में फॉरमेन पद पर भर्ती की पद्धति का विनियम करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय (नौसेना), नौसेना डॉकयार्ड और नौसेना पोत मरम्मत यार्ड , (तकनीकी पर्यवेक्षी कर्मचारिवृन्द) (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर** – उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वें होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि –** भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता –** वह व्यक्ति,–

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति –** जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति –** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पदों की संख्या ।	वर्गीकरण ।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर ।	चयन पद है अथवा अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. फॉरमेन	979* (2024) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -7 (44900-142400 रु.) ।	चयन ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी ।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।	प्रोन्नति या आमेलन /प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या आमेलन / प्रतिनियुक्ति / की जाएगी ।
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता ।	सेवानिवृत्ति की आयु से पहले पुर्ननियोजित सशस्त्र बल के कार्मिकों के लिए दो वर्ष ।	(i) पचहत्तर प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर (अल्पकालिक संविदा सहित प्रतिनियुक्ति द्वारा ।	प्रोन्नति: चार्जमैन वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (रू 35400-112400) में पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो और जिसने दो से चार सप्ताह की बाध्यकारी विभागीय परिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो । **टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में

		(ii) पच्चीस प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित), या पुनर्नियोजन (सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए)।	जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाऐगा परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या स्वायत्त संगठन या विश्वविध्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधिकारी – (क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हों; (ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (रू 35500-112400) या समतुल्य नियमित आधार पर इसकी नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में पाँच वर्ष सेवा की हो; और (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएँ और अनुभव रखते हों; अर्थात (i) मान्यताप्राप्त विश्वविध्यालय या बोर्ड से सुसंगत विषय में इंजीनियरी में डिप्लोमा, और (ii) मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या पब्लिक सैक्टर उपक्रमों या अर्धशासकीय या कानूनी या स्वायत संगठनों से इंजीनियरी के क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1.** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2.** प्रतिनियुक्ति की अवधि, अल्पकालिक संविदा सहित जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

			टिप्पण 3. प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । **पुनर्नियोजन:** सेना के कनिष्ठ कमान अधिकारी या उनके समतुल्य नौसेना या वायुसेना के अधिकारी से उनसे उपर के सशस्त्र बल कार्मिक, जो सेवानिवृत होने वाले हैं या जो एक वर्ष की अवधि के भीतर आरक्षित होने के लिए स्थानांतरित किए जाने हैं, तथा प्रतिनियुक्ति वाले व्यक्तियों के लिए विहित अपेक्षित अनुभव और अर्हता रखते हैं, भी विचार में लिए जाएंगे । तदुपरि वे पुर्ननियोजन पर निरंतर रह सकेंगे ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना ।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. सम्बन्धित नौसेना डॉकयार्ड या नौसेना पोत मरम्मत यार्डो के कैप्टन श्रेणी का अधिकारी - अध्यक्ष 2. सम्बन्धित नौसेना डॉकयार्ड या नौसेना पोत मरम्मत यार्डो के कमांडर श्रेणी का अधिकारी, विभाग से सम्बन्धित – सदस्य 3. सम्बन्धित नौसेना डॉकयार्ड या नौसेना पोत मरम्मत यार्डो के कमांडर श्रेणी का अधिकारी, विभाग से असम्बन्धित – सदस्य समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. सम्बन्धित नौसेना डॉकयार्ड या नौसेना पोत मरम्मत यार्डो के कैप्टन श्रेणी का अधिकारी - अध्यक्ष 2. सम्बन्धित नौसेना डॉकयार्ड या नौसेना पोत मरम्मत यार्डो के कमांडर श्रेणी का अधिकारी, विभाग से सम्बन्धित – सदस्य 3. सम्बन्धित नौसेना डॉकयार्ड या नौसेना पोत मरम्मत यार्डो के कमांडर श्रेणी का अधिकारी, विभाग से असम्बन्धित – सदस्य	पुनर्नियोजन के आधार पर सशस्त्र बल कार्मिकों की नियुक्ति के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

[फा. सं. सीपी(एनजी)/2816/टीएसएस/डीकेडी/समूह-ख/आरआर/126/2023/र(नि)]

ए.पी. हरिनारायणन, अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th January, 2024

S.R.O. 1.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Navy Group 'B' and 'C', Dockyards or Naval Ship Repair Yards (Technical Supervisory Staff) Recruitment Rules, 2007, in so far as they relate to the post of Foreman, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Foreman in Integrated Headquarters, Ministry of Defence (Navy), namely:-

1. Short title and commencement.– (1) These rules may be called the Integrated Headquarters, Ministry of Defence (Navy), Naval Dockyard and Naval Ship Repair Yards, (Technical Supervisory Staff), Foreman (Group ‘B’ Post) Recruitment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.- The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.- No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classifi-cation.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Foreman.	979* (2024) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group ‘B’, Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400).	Selection.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Two years for Armed Forces Personnel re-employed before the age of superannuation.	(i) seventy-five per cent. by promotion failing which by deputation (including short-term contract); and (ii) twenty-five per cent. by deputation (including short-term contract) or re-employment (for Armed Forces Personnel).

In case of recruitment by promotion or by absorption / deputation, grades from which promotion or absorption / deputation to be made.
(11)
Promotion: Chargeman in level-6 in the pay matrix (Rs.35400-112400) with five years regular service in the grade and who have passed the departmental qualifying test to become eligible for consideration for promotion and have successfully completed two to four weeks of mandatory training programme. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: (including short-term contract) : Officers under the Central Government or State Government or Union territories or public sector undertakings or autonomous organisations or Universities or recognised research institutions- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) having five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience - (i) Diploma in Engineering in the appropriate discipline from a recognised University or Board (specific disciplines shall be indicated at the time of advertisement); and (ii) three years experience in the field of Engineering from recognised research institutions or public sector undertakings or semi-Government or statutory or autonomous organisations. **Note 1:** The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government including period of deputation (including short-term contract) shall ordinary not exceed three years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of the receipt of applications **Re-employment:** Armed Forces personnel holding the rank of Junior Commanding Officers of Army or equivalent of Navy and Air Force or above, who are due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed for deputationists shall also be considered. Such persons would be given deputation terms up to the date on which they are due for release from the Armed Forces. Thereafter they may be continued on re-employment.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Officer of the rank of Captain of respective Naval Dockyards or Naval Ship Repair Yards – Chairman; 2. Officer of the rank of Commander of respective Naval Dockyards or Naval Ship Repair Yards, connected with the department - Members; 3. Officer of the rank of Commander of respective Naval Dockyards or Naval Ship Repair Yards, unconnected with the department - Members.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary for re-employment of Armed Forces Personnel.

Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Officer of the rank of Captain of respective Naval Dockyards or Naval Ship Repair Yards - Chairman; 2. Officer of the rank of Commander of respective Naval Dockyards or Naval Ship Repair Yards, connected with the department - Members; 3. Officer of the rank of Commander of respective Naval Dockyards or Naval Ship Repair Yards, unconnected with the department - Members.	

[F. No. CP(NG)/2816/TSS/DKD/GP-B/RR/126/2023/D(A)]

M. P. HARINARAYANAN, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.